

12/01/2020

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक चव्हाटी।

प्रतिवादी कमांक 2 व 6 एकपक्षीय।

प्रतिवादी कमांक 1,3,4,5 द्वारा अधिवक्ता श्री कै.वर्धमान नुर्जेम।

इस आदेश के द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. दिनांकित 04.10.16 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र के तथ्यानुसार प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए वह इस प्रक्रम पर कार्यवाही वापिस लेन चाहते हैं अब कोई विवाद नहीं रहा है। भीषण में कोई विवाद उत्पन्न होने पर वादी कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा अतः प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर वाद प्रत्याहरण की अनुमति वाही है।

प्रतिवादीगण ने आवेदन पर आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

उभयपक्ष को सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया।

वादी ने स्वेच्छा से वाद प्रत्याहरण की अनुमति वाही है। दृष्टि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होना व्यक्त किया है। प्रतिवादीगण ने आपत्ति व्यक्त नहीं की है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर इस वाद हेतुक पर पुनः वाद लाने की अनुमति के बिना वादी को वाद प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है और वाद प्रत्याहरित किया जाता है। उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखनार भेजा जाये।

— आदेश-तालिका —
07/01-2020 गौहर सिंह सिन्हा (प्रवादी)

—सचिव न्यायाधीश—
प्रथम आवेदित न्यायाधीश

वादी-

प्रतिवादी-

आदेश के निर्देशानुसार
600/-

आवेदन पत्र

अभिमान पत्र

12/01/2020

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक चव्हाटी।

प्रतिवादी कमांक 2 व 6 एकपक्षीय।

प्रतिवादी कमांक 1,3,4,5 द्वारा अधिवक्ता श्री कै.वर्मादेव नुर्जेम।

इस आदेश के द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. दिनांकित 04.10.16 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र के तथ्यानुसार प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए वह इस प्रक्रम पर कार्यवाही वापिस लेन चाहते हैं अब कोई विवाद नहीं रहा है। भीषण में कोई विवाद उत्पन्न होने पर वादी कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा अतः प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर वाद प्रत्याहरण की अनुमति वाही है।

प्रतिवादीगण ने आवेदन पर आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

उभयपक्ष को सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया।

वादी ने स्वेच्छा से वाद प्रत्याहरण की अनुमति वाही है। दृष्टि उभयपक्ष के मध्य राजीनाम होना व्यक्त किया है। प्रतिवादीगण ने आपत्ति व्यक्त नहीं की है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर इस वाद हेतुक पर पुनः वाद लाने की अनुमति के बिना वादी को वाद प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है और वाद प्रत्याहरित किया जाता है। उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखनार भेजा जाये।

— आदेश-तालिका —
07/01-2 गौहर लि. सिविल (प्रवादी)

—सचिव न्यायाधीश—
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश

वादी-

प्रतिवादी-

आदेश के निर्देशानुसार सुनवाई

आवेदन पत्र

अभिप्रेत पत्र